

राजस्थान सरकार
निदेशालय पशुपालन, जयपुर


क्रमांक: एफ.वी.7(उनिप्र)/आवेदन लौटाना/2020-21/ 8862

दिनांक: 23/06/21

आदेश

निजी क्षेत्र में पशुपालन डिप्लोमा संस्थान विभागीय नीति-2020 के क्रम में संस्थाओं द्वारा निर्धारित तिथि तक एवं इसके पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अंतर्गत व्यक्तिशः/डाक द्वारा पशुपालन निदेशालय/शासन स्तर पर प्राप्त आवेदन पत्रावलियों के संबंध में दिनांक 08.07.2020 को एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 5798/2020 एवं अन्य वाद प्रकरणों/याचिकाओं में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित आदेश की अनुपालना में प्रशासनिक निर्णयानुसार आवेदक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्रावलियों के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज तथा शुल्क के तौर पर प्राप्त मूल डिमांड ड्राफ्ट सहित संबंधित संस्थाओं को लौटाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(डा. वीरेन्द्र सिंह)
निदेशक